मानव अधिकार एवं सार्वजनिक संपदा के रूप में जल के महत्त्व पर अंतर्धार्मिक घोषणा

बर्न, 22.03.2026

अधोहस्ताक्षरी, 22 मार्च 2026 (संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस) को स्विट्ज़रलैंड के बर्न में स्थित हाउस ऑफ़ रिलिजन्स में आयोजित 'वर्ल्ड.वॉटर.ऑल ऑफ अस' सम्मेलन के प्रतिभागियों के साथ मिलकर, दुनियाभर के धार्मिक समुदायों को इस घोषणा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं:

हम हैं:

- अनेक प्रकार के धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधि।
- अनेक विविध स्वरों वाली बहुधार्मिक, आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष मानवता का अंग।
- वे लोग जिनके लिए इस पृथ्वी पर सब प्रकार का जीवन मूल्यवान है और जो ज़िम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर भावी पीढ़ियों के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं।

हम यह मानते हैं कि:

- जल ही जीवन का आधार है; जल का अर्थ जीवन है। वैश्विक जल चक्र सभी जीवित प्राणियों को एक सूत्र में बांधता है।
- हमारे लिए जल का – विशेष रूप से – सामाजिक, सांस्कृतिक, चिकित्सकीय, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है।
- मानव होने के नाते, हम जल (और जीवन की अन्य आवश्यकताओं) के माध्यम से सभी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य सीमाओं से परे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- जल मूलतः एक सार्वजनिक संपदा है जिसके लिए हम सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं।
- जल तक सुरक्षित पहुंच एक मान्यता प्राप्त मानव अधिकार है।[1]
- कई लोगों के पास स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक सुरक्षित पहुंच उपलब्ध नहीं है;[2] महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से इससे प्रभावित होते हैं।
- जल तक पहुंच और जल पर नियंत्रण के परिणामस्वरूप दुनियाभर में संघर्ष होते हैं; हालांकि, ये शांति समाधानों का अंग भी हैं।
- स्वच्छ जल और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं।
- दुनियाभर में जल को प्रदूषण, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक दोहन और दुरुपयोग से खतरा बना हुआ है।
- तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

इसलिए हम निम्नलिखित के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का संकल्प लेते हैं:

- अपनी धार्मिक परंपराओं के तहत उन स्रोतों को प्रमुखता से उजागर करना और मजबूती देना, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीजों की रक्षा करते हैं;
- जल तक पहुंच को एक मानव अधिकार और सार्वजनिक संपदा के रूप में सम्मान देना और उसी के अनुसार कार्य करना;
- दुनिया के सभी लोगों के लिए स्वच्छ पेय जल और स्वच्छता तक सुरक्षित पहुंच के लिए आवाज़ उठाना;

---

[1] 28 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जल और स्वच्छता के अधिकार संबंधी प्रस्ताव 64/292 को अंगीकृत किया। इसमें, महासभा स्पष्ट रूप से इस मानव अधिकार को मान्यता देती है। यह राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों को वित्तीय सहयोग, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करने की अपील करती है।

[2] संयुक्त राष्ट्र, 26 अगस्त 2025: लगभग 2.1 अरब लोगों (पृथ्वी पर हर चार में से एक व्यक्ति) के पास पेयजल तक सुरक्षित पहुंच (सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल) उपलब्ध नहीं है। लगभग 3.4 अरब लोगों के पास घर पर सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं (सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता) उपलब्ध नहीं हैं।

- स्वच्छ जल के लिए ज़िम्मेदारी लेना और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और उसे बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाना;
- जीवन के लिए आवश्यक जल को प्रदूषण से सुरक्षित रखना और स्वयं को जल का उपयोग सोच-समझकर और संयमित रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करना;
- अपने स्थानीय धार्मिक समुदायों को जल का ज़िम्मेदारी के साथ उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और सभी स्तरों पर, स्वच्छ पेय जल और स्वच्छता तक सुरक्षित पहुंच की अपील करना;
- जल संबंधी वार्ताओं का भी शांति को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करना।

हस्ताक्षरकर्ता:

22 मार्च 2026 को आयोजित 'वर्ल्ड.वॉटर.ऑल ऑफ अस' — अंतर्धार्मिक विश्व जल दिवस 2026 सम्मेलन के प्रतिभागी।